

# इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रपत्र - 1

## पेंशन हेतु आवेदन का प्रपत्र

(दो प्रतियों में भरा जायेगा)

फोटो

1. आवेदक का नाम :- .....
2. पिता/पति का नाम :- .....
3. पूरा पता :-  
ग्राम/मुहल्ला.....पंचायत/नगर वार्ड.....  
डाकघर.....प्रखण्ड/नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत.....  
थाना .....अनुमण्डल.....जिला-बक्सर
4. कोटि :- अनु०जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/अतिपिछड़ी जाति/सामान्य.....
5. आयु (आवेदन पत्र देने के दिन) :-  
(आयु का यदि प्रमाण उपलब्ध हो, तो उसकी प्रति संलग्न करें। यदि उपलब्ध नहीं है तो पारिवारिक सूची/निर्वाचक सूची में अभिलिखित उम्र भी स्वीकार होगा या ग्राम सभा/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापित आयु भी मान्य होगा।)
6. आवेदक का पहचान चिन्ह :- .....
7. बी०पी०एल० का क्रमांक :- .....प्राप्तांक :- .....
8. मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि -
  - (1) मेरा परिवार गरीबी रेखा की सर्वेक्षित सूची में सूचीकृत है। गरीबी रेखा पहचान सं०.....  
प्राप्तांक.....हैं।
  - (2) मैं विधवा हूँ।
  - (3) मुझे सामाजिक सुरक्षा की किसी पेंशन योजना अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है।
  - (4) मैं.....जिला.....बिहार राज्य की निवासी/अधिवासी हूँ। जहाँ मैं आवेदन देने की तिथि से ठीक तीन वर्ष पहले से रह/रही हूँ।
  - (5) मुझे पंचायत अधीन.....डाकघर से पेंशन भुगतान किया जाय।  
मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त विवरणी सही है। यदि कोई ब्यौरा गलत/झूठा पाया जाय तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाय।

स्थान :-

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

तिथि :-

आवेदक के पहचान कर्ता का हस्ताक्षर

### प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा

मैंने आवेदन में अंकित विवरण की जाँच की है और सही पाया है। पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।  
इन्हें डाकघर .....से पेंशन भुगतान किया जाना सुविधाजनक होगा।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

.....